अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता

540. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने सहायक अभियंताओं को मंत्रियों द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों में अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है;

(ख) इन नियुक्तियों से विभाग के विकास कार्यों पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) एक।

(ख) विकास कार्य में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) और (घ) रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त सहायक इंजीनियर बावत एवजी की पहले ही तैनाती कर दी गई है।

काली बाड़ी सरकारी कालोनी, नई दिल्ली में अवैध निर्माण

541. **श्री राजनाथ सिंह:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जे-ब्लाक, मंदिर मार्ग (काली बाड़ी) नई दिल्ली स्थित सरकारी आवासीय कालोनी में निवासियों ने अप्राधिकृति रूप से अतिरिक्त कमरों का निर्माण कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों ने अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए सरकार से अनुमति ली है,

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अतिरिक्त कमरों के निर्माण की अनुमति ली है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन कमरों को गिराने और उन कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिये)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संपदा निदेशालय द्वारा नियमों के अंतर्गत अनधिकृत निर्माण को हटाने अथवा आवंटन रद्द करने के लिए 31 आबंटियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

(च) ऐसे मामले में कार्यवाही पूरी कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना होता है।

विवरण

आई/एच उपमंडल के ब्लॉक-वार नई दिल्ली, के अधीन जे ब्लॉक मंदिर मार्ग में अनधिकृत निर्माण की स्थिति

एफआर= सामने का कमरा	बी-आर= पीछे का कमरा	बी-सी= कबर की गई बालकोनी	बी डब्ल्यू= चारदीवारी
जी एफ भूतल	एफएफ-प्रथम तल	एस. एफ दूसरा तल	टी एफ-ऊपरी तल

क्र. सं.	क्वाटर नं.	निर्माण का प्रकार	तल
1	2	3	4
1.	ज. 583	बी.आर.बी.सी.	भूतल
2.	जे. 591	बी.सी.	दूसरा तल
3.	जे. 553	ए. आर. बी. डब्ल्यू	भूतल